विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
12 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न तृतीय सत्र 2024 के प्रथम सोमवार, अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के क्रम में मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत पारागॉव डॉक्टरखेड़ा के पास मनोज राजपूत के घर से बाबा ब्रहमादेव तक जाने वाले मार्ग के निर्माण कार्य की निविदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रकाशित करायी गयी थी परन्तु वित्तीय व्यवस्था न हो पाने के कारण अनुबन्ध का गठन नही किया गया जिस कारण कार्य नहीं कराया जा सका ?	जी हाँ ।
(ख) यदि हॉ, तो क्या गत दो वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वित्तीय व्यवस्था नहीं हो सकी ?	नगर निकाय के अपने सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं, जिनके माध्यम से निकाय द्वारा कार्यकारिणी/बोर्ड/सदन की अनुमति से प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं।
(ग) क्या उक्त स्थान पर मनोज राजपूत के घर से बाबा ब्रहमादेव तक नाली व इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ?	प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट सोसाइटी/ कॉलोनाइजर द्वारा अनियोजित रूप से बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कॉलोनियों के विकास का प्रथम दायित्व संबंधित सोसाइटी/कॉलोनाइजर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से प्राथमिकता निर्धारित करते हुये समय-समय पर विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना स्थानीय निकाय के पास धन की उपलब्धता तथा निकाय के निर्णय पर निर्भर है।
(घ) यदि हॉ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों है ?	उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।